International Journal of Advanced Educational Research
www.educationjournal.org
ISSN: 2455-6157
Received: 22-11-2022, Accepted: 07-12-2022, Published: 24-12-2022
Volume 7, Issue 2, 2022, Page No. 160-164

भारत में समान नागरिक संहिताः वाद–विवाद एवं परिचर्चा

डॉ अनुराग पांडेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल सिंह महाविद्यालय. दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

सारांश
प्रस्तुत लेख भारत के संविधान के निति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की अवधारणा पर विभिन्न तर्क और विमर्श का अध्ययन करता है। समान नागरिक संहिता को हमेशा एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण, उनके उत्थान एवं परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं में महिलाओं की समान हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को अमली जामा पहनाना, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है। यह लेख समान नागरिक संहिता के इर्द–गिर्द प्रमुख वाद–विवाद का मूल्यांकन करता है। लेख मुख्य रूप से डॉ भीम राव अंबेडकर के विचारों के परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। साथ ही इस मुद्दे की पड़ताल करता है के कैसे बुद्धिजीवियों ने समान नागरिक संहिता को समझने की कोशिश करि है और इसको लेकर कितनी भ्रांतियां समाज में मौजूद हैं। समान नागरिक संहिंता समाज में विभिन्न धर्मों के मध्य लैंगिक समानता स्थापित करने का एक यंत्र है और इसे लागू हो जाना चाहिए।

मूल शब्दः समान नागरिक संहिता, नीति निर्देशक तत्व, डॉ आंबेडकर, शरिया कानून, हिन्दू विवाह अधिनियम, महिलाओं के अधिकार, परिवार और धार्मिक कानून, एकसंगमन, बहुविवाह

"मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझता कि धर्म को इतना विशाल, विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए, ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और विधायिका को उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका जा सके। आखिर हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है?"यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है, जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है।" डॉ. भीम राव अम्बेडकर।[1]
डॉ० बी० आर० अम्बेडकर संवैधानिक बहस के दौरान भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते थे, ताकि समाज में एकरूपता लाइ जा सके और इसे एकीकृत किया जा सके। लेकिन भारत की संस्कृति और धर्म की विशाल किस्मों के कारण समान नागरिक संहिता के विचार का संविधान सभा के अन्य सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किया गया; इस बात पर बहस करना कि समान नागरिक न्यायालय के कार्यान्वयन से भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होगा।
इस प्रकार, समान नागरिक संहिता को भविष्य में सरकार द्वारा लागू करने के लिए छोड़ दिया गया था और संविधान के भाग–IV के तहत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक के रूप में जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसारः – ष्राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।"
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 44) में वर्णित समान नागरिक संहिता के विचार पर बाबा साहब का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है उस समय के दौरान कई धार्मिक समूहों ने अम्बेडकर के इस विचार का विरोध धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर किया इन धार्मिक समूहों का तर्क था के उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है समान नागरिक संहिता उन्हें इस अधिकार से वंचित करती है और धर्म संबंधी मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है।
भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है और इस प्रक्रिया में भारतीय संविधान ने दो तरह के कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करता हैं– पहला आपराधिक कानून और दूसरा नागरिक कानून।
आपराधिक कानून कहता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपराधिक कानून सभी धर्मों–वर्गों के लिए सामान्य है, यानी ये कानून किसी भी धर्म के मध्य कोई भेदभाव नहीं करता।
यदि हम नागरिक कानून लेते हैं तो इसमें सामाजिक असमानता है, उदाहरण के लिए हिंदुओं के अलग–अलग नागरिक कानून हैं (उदाहरणः हिंदू अविभाजित परिवार कानून) और मुसलमानों के अलग–अलग नागरिक कानून हैं (उदाहरणः शरिया कानून)। इसलिए नागरिक कानून समानयतः असमानता का व्यवहार करता है ताकि सभी धर्मों को राज्य में उचित स्थान मिल सके। परंतु प्रश्न खड़ा होता है के क्या वाकई सभी धर्मों को राज्य में उचित स्थान मिलता है?

क्या भारत समान नागरिक संहिता के लिए तैयार है? आम मिथक और चर्चाएँ

समान नागरिक संहिता को लेकर कई तरह के मिथक भारतीय समाज में फैलाए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं–

1. समान नागरिक संहिता का अर्थ है हिंदू कानून लागू करना।
   यह पूरी तरह से मिथ्या अवधारणा है। समान नागरिक संहिता का अर्थ केवल व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता है। यह एक तटस्थ कानून होगा जिसका धर्म से कोई लेना–देना नहीं होगा।
2. समान नागरिक संहिता आपकी धर्म की स्वतंत्रता को छीन लेगी।

दूसरा मिथक धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है जिसमें कई अल्पसंख्यक समूह ऐसा सोचते हैं के उनकी धर्म की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी और बहुसंख्यक धर्म की परम्पराएं लागू होंगी। क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के रूप में दी गई धर्म की स्वतंत्रता मौजूद है ये स्वतंत्रता समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भी बनी रहेगी। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लिए समरूप नागरिक कानूनों पर जोर देती है ना की भेदभाव पर।

3. भारत को वास्तव में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है, भारत के नागरिक और पारिवारिक कानून ठीक से काम कर रहे हैं।

ये तीसरा मिथक है जो भारतियों के मध्य संशय और वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। बल्कि अगर वास्तपिक रूप से देखें तो भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है जिससे कई तरह की पारिवारिक–वैवाहिक–सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। हिन्दू व्यक्ति हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 से परिचालित होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय शरिया कानून से। शरिया कानून कई बार दकियानूसी और पारम्परिक अवधारणाओं से भरे होते हैं जिस कारण अल्पसंख्यक समाज में कई कुरीतियां आज भी मौजूद हैं, तीन तलाक, हलाला इत्यादि ऐसे ही मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से अल्पसंख्यक समुदाय को धर्मान्धता से मुक्ति मिलेगी और वे आधुनिकता के विचारों को अपनाकर देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे पाएंगे।

भारत में समान नागरिक संहिता संबंधी विवादः विभिन्न धर्म और पारिवारिक कानून

हिंदू अविभाजित परिवार कानून मोनोगोमी (एक ही बार विवाह करने की प्रथा अथवा एकसंगमन) को बढ़ावा देता है जबकि अल्पसंख्यक का शरिया कानून पोलीगेमी (बहुविवाह) को बढ़ावा देता है। सीधे अर्थों में शरिया कानून महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाता है और समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक महिलाओं को सम्मानजनक जीवन यापन करने में एक मददगार कदम साबित होगी।

भारत जैसे नए लोकतान्त्रिक राष्ट्र में अम्बेडकर समान नागरिक संहिता के जरिए पूर्ण धर्मनिरपेक्षता प्राप्त करना चाहते थे। अंबेडकर शरीयत कानून और कई अन्य धार्मिक प्रथाओं का उद्धरण देते हुए कहते हैं के मुस्लिम परिवार कानून मानव अधिकारों, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करतें है। इनमें सबसे अच्छा सबसे बेहतर उदाहरण तीन तलाक व्यवस्था है। जिसे 2017 में असंवैधानिक घोषित किया गया वहीं दूसरी ओर विरासत कानून जो 2005 में भी पारित किया गया, महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का प्रावधान करता है। इसलिए अंबेडकर समान नागरिक संहिता को धीरे–धीरे लागू करने का आह्वान किया था और इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इससे संबंधित प्रावधान किया और इस संबंध में डॉ अंबेडकर की दृष्टि सबसे महान और आगे की सोच वाली थी। उनकी इस सोच को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. जाति व्यवस्था को खत्म करके ऊँची–नीची जाती का भेद समाप्त करना और हिन्दुओं के मध्य किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त करना।
2. सभी धार्मिक समूहों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना ताकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्म एक समान नागरिक कानूनों से शासित हों।

इसके अतिरिक्त डॉ अंबेडकर स्त्री–पुरुष को समानता दिलाने के पक्षधर थे और माता–पिता की धन–सम्पत्ति में पुत्रियों का पुत्रों के समान अधिकार, वृद्ध माता–पिता की देखभाल के लिए पुत्रियों और पुत्रों की समान जिम्मेदारी; कानूनों द्वारा "दहेज" प्रथा को पूरी तरह से रोकना; बेटियों और बेटों को समान स्वतंत्रता और शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता इत्यादि उनके द्वारा समर्थित समान नागरिक संहिता के अंग थे जिन्हें अमली जामा बाद के वर्षो में भारतीय संसद ने पहनाया।

भारत को निम्नलिखित कारणों से समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए–

a. 'धर्मनिरपेक्ष' होना

पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होने के लिए कानूनों का धर्म से कोई लेना–देना नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास जो कुछ भी है, वह आबादी के अलग–अलग गुट हैं जो अलग–अलग कानूनों का पालन करते हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता का सही क्रियान्वयन धर्म के दायरे से बाहर पर्सनल लॉ बनाकर होगा। हमारे धर्मों की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के साथ वास्तव में समान व्यवहार किया जाएगा।

b. कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए।

अलग–अलग समुदायों के लिए अलग–अलग पर्सनल लॉ कानूनी व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पैदा करते हैं। समान नागरिक संहिता लाने से इसमें कमी आएगी। यह बहुत सारी तकनीकी खामियों को सरल बनाने में भी मदद करेगा जो विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद हैं। यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद सभी खामियों को भी दूर करेगा।

c. यह एकता को बढ़ावा देगा

सभी भारतीयों के लिए एक पर्सनल लॉ एकता को बढ़ावा देगा। यह एक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति में भी मदद करेगा।

d. बेहतर कानून बनाए जाएंगे

बहुत सारे अलग–अलग व्यक्तिगत कानून जो अन्यायपूर्ण, अनुचित, भेदभावपूर्ण और सर्वथा असंवैधानिक हैं, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षण दिया जाता है। इनमें से अधिकांश कानून लोगों की मदद नहीं करते हैं। समान नागरिक संहिता बेहतर कानून लाएगी और एक बेहतर कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देगी।

e. यह मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मोनोगैमी सभी भारतीयों पर अनिवार्य होनी चाहिए। यह समान नागरिक संहिता से होगा। समान नागरिक संहिता लैंगिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुस्लिम महिलाओं को भरण–पोषण या विरासत के रूप में शायद ही कोई अधिकार मिला हो। एक मजबूत समान नागरिक संहिता प्रदान करने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी जो बदले में समुदाय की प्रगति में मदद करेगी। जिसका फायदा सर्वाधिक अल्पसंख्यक महिलाओं को होगा।

f. यह वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करने में मदद करेगा

यदि सभी भारतीयों पर शासन करने वाले समान कानून हों, तो राजनेताओं के पास वोट के बदले किसी समुदाय को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और इस प्रकार समान नागरिक संहिता वोट की राजनीती को खत्म करने में मददगार साबित होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के महत्व को दोहराया है। भारत के संविधान के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में यह भी कहा गया है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता पारित करेगा। हर आधुनिक राष्ट्र जिसने वास्तव में श्धर्मनिरपेक्षताश को अपनाया है, उसके पास एक समान नागरिक संहिता है।

क्या मुस्लिम समान नागरिक संहिता लागू करने के विचार का पूरे दिल से समर्थन करेंगे?

भारतीय मुसलमानों को इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह न केवल उनके समुदाय में एक बहुत ही आवश्यक सामाजिक सुधार लाएगा, बल्कि धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति को रोकने में भी मदद करेगा जो उनके स्वयं के विकास में बाधक रही है।

यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा (हम अभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम सिर्फ अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं)। वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के कानून को अपने नागरिकों के बीच उनके द्वारा पालन किए जाने वाले धर्मों के आधार पर अंतर नहीं करना चाहिए। धार्मिक कानूनों को नागरिक कानून की अवहेलना
करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

जैसा कि मैं इसे देखता हूं, मुख्य रूप से तीन कारण हैं कि क्यों भारतीय मुसलमान समान नागरिक संहिता के विचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं: [2]

मौलवी या धार्मिक पुजारी– जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन मौलवियों के पास भारतीय मुसलमानों के भोले–भाले झुंड को प्रभावित करने का एक उपकरण है। पर्सनल लॉ बोर्ड को हटाने से वे वस्तुतः शक्तिहीन हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मौलवी ही समान नागरिक संहिता के मुखर विरोधी हैं क्योंकि इसके लागू होने से उनकी सौदेबाजी और वोट की राजनीती पर खतरा मंडराने लगेगा।

'मुस्लिम–सहानुभूति' राजनीतिक दल– भारत में 180 मिलियन से अधिक मुसलमान हैं। यह बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये राजनीतिक दल हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए 'मुस्लिम पीड़ित हैं' की धारणा को कायम रखते हैं, और इस प्रकार मुस्लिम जनता की राय को समान नागरिक संहिता की ओर मुड़ने से रोक रहे हैं।

एक समान नागरिक संहिता का परिणाम होगा

- पुरुष समर्थक मुस्लिम पर्सनल लॉ का उपयोग करके वर्षों से वशीभूत की गई मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार।
- जनता को मौलवियों के चंगुल से मुक्त करवाना, जिससे धीरे धीरे मुसलमान मदरसा–आधारित शिक्षा से परे देखना शुरू कर देंगे। नतीजतन, मुस्लिम युवावर्ग उनके दृष्टिकोण में अधिक प्रगतिशील और वैज्ञानिक होगा।
- राजनीतिक दल जो धर्म की तर्ज पर खेल खेलते हैं, वे कुछ पत्ते खो देंगे। इससे राजनीतिक प्रवचन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है।
- देश की कानूनी व्यवस्था में से अनावश्यक बोझ को हटाकर उसे सरल बनाया जा सकता है।
- और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी भारतीयों में एकजुटता की भावना पैदा कर सकता है, इस प्रकार यह एकता को प्रोत्साहित कर सकता है।

आजादी के बाद

गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है; अर्थात। जाति, समुदाय या धर्म के बावजूद एक सामान्य परिवार संहिता है जो विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित है। शेष भारत में, कई धार्मिक समूह अभी भी भारत में समान नागरिक संहिता की प्रामाणिकता पर संदेह में हैं।

न केवल स्वतंत्रता–पूर्व युग में संविधान सभा की बहस के दौरान बल्कि स्वतंत्रता के बाद के युग में भी समान नागरिक संहिता के विषय पर बहस होती रही है। शाहबानो मामले में (मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम)[3] माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 125 Cr.P.C के तहत मुस्लिम महिला शाह बानो के भरण–पोषण के मामले का फैसला करते हुए निर्देशित किया था कि संसद को कानून बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। पर्सनल लॉ प्रथा से समाज में महिलाओं की स्थिति का ह्रास हो रहा है। लेकिन कुछ समूहों द्वारा इस फैसले की आलोचना और विरोध के कारण, तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के भरण–पोषण के लिए श्मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' नाम से एक अलग कानून बनाया।

दूसरी बार; श्रीमती सरला मुद्गल (अध्यक्ष, कल्याणी) व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले के दौरान।[4] ये देखा गया के पहली शादी होते हुए भी दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण का एक मामला न्यायालय के समक्ष आया। न्यायालय ने कहा के सदियों पुराने रीति–रिवाजों को आज तक निभाने के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति

आर्थिक और नैतिक रूप से गिरती जा रही है और न्यायालय ने संसद से समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया ताकि पूरे भारत में उत्तराधिकार और रखरखाव कानूनों में एकरूपता स्थापित की जा सके। हालाँकि, इस फैसले को जनता से आलोचना भी मिली, क्योंकि अल्पसंख्यक समूह इसे अपनी धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा।

सर्वोच्च न्यायालय और समान नागरिक संहिताः दृष्टिकोण

लिली थॉमस मामले[5] में इस मामले से निपटते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किः "सरला मुद्गल के मामले में भारत सरकार की ओर से 5 दिसंबर, 1996 को दायर पूरक हलफनामे में यह कहा गया है कि सरकार एक समान कोड बनाने के लिए तभी कदम उठाएगी जब समुदाय इस तरह की कोड की इच्छा और मांग रखेंगे। इन समुदायों को आपस में विमर्श करके सरकार के पास इस बात के लिए सम्पर्क करना होगा और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी।" इस समय सरकार कांग्रेस द्वारा समर्थित संयुक्त मोर्चा की थी। वोट बैंक की राजनीती के दबाव ने सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष को सरकार से अल्पसंख्यक स्मुगयों पर डाल दिया जो समान नागरिक संहिता को लेकर आज भी संशय में हैं और विरोध करते हैं। [6]

इसलिए लिली थॉमस मामले में न्यायालय ने कहा कि ष्इस न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के संहिताकरण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया और न्यायाधीशों द्वारा केवल उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में अपने विचार व्यक्त किए। [7]

पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में यह माना गया कि;क्या यह आवश्यक है कि विधायिका सभी धर्मों को मानने वाले लोगों द्वारा स्थापित या अनुरक्षित सभी धार्मिक अथवा धर्मार्थ या सार्वजनिक संस्थानों और बंदोबस्तों पर समान रूप से कानून बनाकर उन्हें लागू करे? भारत जैसे बहुलतावादी समाज में, जिसमें लोगों को अपने–अपने धर्मों, विश्वासों या विभिन्न धर्मों या उनकी शाखाओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में विश्वास है, संविधान बनाते समयसंविधान निर्माताओं के समक्ष एक यक्ष प्रश्न खड़ा था के भारत के लोगों को एकजुट और एकीकृत करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । भारत में अलग–अलग धार्मिक विश्वासों, अलग–अलग जातियों, लिंग या समाज के उप–वर्गों, अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग भाषाएं और बोलियां बोलने वाले इत्यादि समुदायों के मध्य एकीकृत और संयुक्त समाज का निर्माण जो सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य करने के लिए भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष चरित्र देता है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत स्वयं विविधता की कल्पना करते हैं और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। एक समान कानून, हालांकि अत्यधिक वांछनीय है, पर एक बार में उसका अधिनियमन शायद राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनुउत्पादक हो सकता है। कानून के शासन से चलने वाले लोकतंत्र में धीरे–धीरे प्रगतिशील परिवर्तन और व्यवस्था लानी चाहिए। कानून बनाना या कानून में संशोधन करना एक धीमी प्रक्रिया है और विधायिका जहां जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है वहां उपाय करने का प्रयास करती है। इसलिए, यह सोचना अनुचित और गलत होगा कि सभी कानूनों को एक ही बार में सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। समुदायों के मध्य कमियां, कुरीतियां या दोष जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से कानून बनाकर और लागू कर के दूर किया जा सकता है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से क्या किया जा सकता है?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।

जब भी समान नागरिक संहिता की बहस शुरू होती है तो उपरोक्त दो अनुच्छेदों में दिए गए अधिकार समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के खिलाफ बचाव करते हैं; हालाँकि, ऊपर दिए गए अधिकार, हालांकि मौलिक अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खंड 1 के अनुसार श्सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीनश हैं।

अनुच्छेद 25 का खंड 2 इस अनुच्छेद में मौजूद कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा और राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा एक कानून बनाकर प्रथागत कानूनों में कुप्रथाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही राज्य किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो।

एक समान नागरिक संहिता लागू करने के संभावित परिणाम

- पुरुष समर्थक मुस्लिम पर्सनल लॉ का उपयोग करके वर्षों से अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय से वंचित रखी गईं मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
- जनता को मौलवियों और धर्म गुरुओं के चंगुल से मुक्त करवाना, नतीजतन, मुस्लिम युवा वर्ग आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे जो उनके दृष्टिकोण में अधिक प्रगतिशीलता और वैज्ञानिकता का बोध कराएगी। अभी मुस्लिम समुदाय के मध्य शिक्षा और आधुनिक सोच का अभाव है, समान नागरिक संहिता उन्हें आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की ओर ले जा सकती है।
- राजनीतिक दल जो धर्म की तर्ज पर खेल खेलते हैं, वे कुछ पत्ते खो देंगे। इससे राजनीतिक प्रवचन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है।
- देश की कानूनी व्यवस्था में से अनावश्यक बोझ को हटाकर उसे सरल बनाया जा सकेगा।
- और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी भारतीयों में एकजुटता की भावना पैदा कर सकता है, इस प्रकार विभिन्न समुदायों में आपसी भाई चारा बढ़ाकर राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल कर सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के बीच अविश्वास है, क्योंकि उनका मानना है के यह उनके धर्म पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करेगा क्योंकि समान नागरिक न्यायालय अल्पसंख्यक समुदाय के कानूनों के प्रति पूर्वाग्रह रख सकता है।

इसके अलावा लोग अपने धार्मिक रीति–रिवाजों का पालन करने के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और वे अपने प्रथागत कानूनों के खोने के साथ धार्मिक पहचान के खोने से डरते हैं और यह असुरक्षा अल्संख्यक धार्मिक समुदायों के मध्य उनके मौलवी, अभिजन वर्ग और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भरी गई है।

जनता द्वारा समान नागरिक संहिता में इस अविश्वास को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिली थॉमस केस ख्, में भी मान्यता दी गई थी, और अदालत द्वारा यह बताया गया था किरू श्एक समान कानून, हालांकि अत्यधिक वांछनीय है, अधिनियमन में एक बार जाने से शायद राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।'

दूसरी ओर, धार्मिक प्रथागत कानूनों में कुरीतियां, जो समाज में महिलाओं की स्थिति को कम करती हैं या समाज में समानता नहीं देती हैं, को संसद द्वारा अनुच्छेद 25 और 26 के खंड 1 के तहत विशेष कानून बनाकर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में समाधान हो सकता है; यदि इसे एक 'बुनियादी मानक के रूप में अधिनियमित किया जाए, जिसमें सभी प्रथागत कानूनों को बदलने के बजाय, केवल उन कानूनों या प्रथागत प्रथाओं को समाप्त करने या बदलने के लिए दिशा–निर्देशों का एक सेट बनाया जाना चाहिए, जो महिलाओं की स्थिति को कम करता है और समानता का दर्जा प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार की समान नागरिक संहिता सभी को स्वीकार्य होगी और ये भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता को भी संरक्षित करेगी, जो पश्चिमी दुनिया में शायद ही कभी देखा जाता है जहां समान नागरिक संहिता पहले से ही चलन में है।

References

1. Outlook Webdesk (2022), "Ambedkar and Uniform Civil Code," (February.3). Accessed Via: https://www.outlookindia.com/website/story/ambedkar-and-the-uniform-civil-code/221068. Dated. 4/3/2022.
2. Salam, Zia Us (2022), "All India Muslim Personal Law Boar Opposes Uniform Civil Code," (November.1). *The Hindu*. Accessed Via: https://www.thehindu.com/news/national/all-india-muslim-personal-law-board-opposes-uniform-civil-code/article66078914.ece. Dated. 7/11/2022
3. Engineer, Asghar Ali (1987) *The Shah Bano Controvercy* (New Delhi: Sangam Books).
4. 1995 AIR 1531: 1995 SCC (3) 635.
5. Lily Thomas v. Union of India & Ors., (2000) 6 SCC 224.
6. Outlook Webdesk. Opp.Cite.
7. Lily Thomas v. Union of India & Ors., (2000) 6 SCC 224.
8. 1996 AIR 1023: 1996 SCC (2) 498.
9. Agnes, Flavia. The Supreme Court, the Media, and the Uniform Civil Code Debate in India. The Crisis of Secularism in India, 2006, 294-315.
10. Ibid.
11. The Hinsustan Time (2022), Uniform Civil Code: Will it work for India? Arguments in favour and against," (December 10). Accessed Via: https://www.hindustantimes.com/india-news/uniform-civil-code-will-it-work-for-india-arguments-in-favour-and-against-101670605674458.html. Dated. 11/12/2022.